निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 फाल्गुन 1942 (श0)

(सं0 पटना 183) पटना, शुक्रवार 19 मार्च 2021

---

fcgkj fo/kku lHkk lfpoky;

अधिसूचना

18 मार्च 2021

सं० वि०स०वि०–09/2021–1584/वि०स०।—"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984–85) विधेयक, 2021", जो बिहार विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

vkn'k ls]

राज कुमार सिंह,

lfpo] fcgkj fo/kku lHkkA

[वि०स०वि०–05/2021]

fcgkj fofu;kx vf/kdkbZ O;; (1984-85) fo/ks;d] 2021

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- laf{kIr ukeA&यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984–85) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2- 31 ekpZ] 1985 dks lekIr gksus okys o"kZ ds fy, fcgkj jkT; dh lafpr fuf/k esa ls 39]910 :i;s dh fudklhA&बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ–8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू0 39,910/– (उनतालीस हजार नौ सौ दस) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3- fofu;ksxA & इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

vuqlwph

¼nsf[k, /kkjk,sa 2 ,oa 3½

foÙkh; o"kZ 1984&85					vf/kdkbZ O;; dh jde ¼:i;s esa½		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	स्वास्थ्य	पूंजी	-	**39910**	**39910**
				dqy	-	**39910**	**39910**

राज कुमार सिंह,
lfpo] fcgkj fo/kku lHkkA

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद–204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1984–85 में, बिहार विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 701 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए 39,910 रूपये (उनतालीस हजार नौ सौ दस) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

¼rkjfd'kksj i'klkn½
Hkkj lk/kd lnL;A

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–18.03.2021

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 183-571+10 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in